# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील** जीसीएमएस **संख्या 2022/381**

1. सुमेर सिंह उर्फ शिम्भू सिंह पुत्र स्व0 पाबूदान सिंह
2. देवी सिंह पुत्र स्व0 पावूदान सिंह
3. अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 पाबूदान सिंह
4. श्रवण सिंह पुत्र स्व0 पाबूदान सिंह समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर

—अपीलान्ट

बनाम

1 भंवर सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह नाथावत, जाति राजपूत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर ।

—रेस्पोडेण्ट

2 सोहन सिंह पुत्र श्री फतेहसिंह
3 रेखा तंवर पत्नी श्री पूरणसिंह नाथावत,समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर ।
4 हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री समुन्दर सिंह
5 चैनसिंह पुत्र स्व0 श्री समुन्दर सिंह
6 राजू कंवर पुत्री स्व० श्री समुन्दर सिंह
7 प्रेम कंवर पुत्री स्व० श्री समुन्दर सिंह
8 भंवर कंवर पत्नी स्व0 श्री समुन्दर सिंह
9 भोपाल पुत्र स्व0 श्री रूपसिंह
10 श्रीमती समन्दर कंवर पत्नी स्व0 श्री रूपसिंह
11 भंवर कंवर पुत्री स्व० श्री रूपसिंह
12 रसाल कंवर पुत्री स्व० श्री रूपसिंह
13 किरण कंवर पुत्री स्व० श्री रूपसिंह
14 भंवर सिंह पुत्र स्व0 श्री धनसिंह
15 नारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री धनसिंह
16 गुमान सिंह पुत्र स्व0 श्री धनसिंह
17 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री धनसिंह
18 रसाल कवंर पुत्री स्व० श्री धनसिंह
19 छेलकंवर पुत्री स्व० श्री धनसिंह
20 मोरू कंवर पुत्री स्व० श्री धनसिंह
21 कंचन कंवर पुत्री स्व० श्री धनसिंह
22 कान कंवर पुत्री स्व० श्री धनसिंह
23 भवर कंवर पत्नी स्व0 श्री धनसिंह
24 भंवर सिंह पुत्र स्व0 श्री सवाई सिंह
25 तोफ कंवर पुत्री स्व० श्री सवाई सिंह
26 दाक कंवर पत्नी स्व0 श्री सवाई सिंह
27 पवर्त सिंह पुत्र स्व0 श्री भालसिंह
28 नैन कंवर पुत्री स्व० श्री भालसिंह
29 सोनू कंवर पत्नी स्व० श्री भालसिंह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

30 जबरसिंह पुत्र स्व0 श्री कल्याणसिंह
31 गजेसिंह पुत्र स्व0 श्री कल्याणसिंह
32 बलवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री उम्मेद सिंह
33 हंसा कंवर पुत्री स्व० श्री उम्मेद सिंह
34 बेबी कंवर पुत्री स्व० श्री उम्मेद सिंह
35 किरण कंवर पत्नी स्व0 श्री उम्मेद सिंह
36 मांगू कंवर पुत्री स्व0 श्री कल्याण सिंह
37 प्रकाश कंवर पुत्री स्व० श्री कल्याण सिंह
38 सायर कंवर पत्नी स्व0 श्री कल्याण सिंह
39 मंगेज कंवर पत्नी स्व0 श्री भंवर सिंह
40 किरण कंवर पुत्री स्व० श्री भंवर सिंह
41 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मूल सिंह
42 युवराज सिंह पुत्र स्व0 श्री जगदीश सिंह
43 कोमल कंवर पुत्री स्व० श्री जगदीश सिंह
44 गेगा कंवर पुत्री स्व० श्री जगदीश सिंह
45 नन्द कंवर पुत्री स्व० श्री मूल सिंह
46 बबलू कंवर पुत्री स्व० श्री मूल सिंह
47 धापू कंवर पत्नी स्व0 श्री मूल सिंह
48 लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह
49 बिशन सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह
50 नारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह
51 पुष्पा कंवर पुत्री स्व० श्री मोहन सिंह
52 टम्मू कंवर पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम डूंगरनगर, पोस्ट डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली ।
53 सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ।
54 सरकार जरिये उप तहसीलदार गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25/11/2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या शून्य कार्यालय आदेश क्रमांक 540—541 दिनांक 25/11/2021 के द्वारा कृषि भूमि को गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज किया गया।

उपस्थित—

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड वकील अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —13.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के आदेश दिनांक 25.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपतहसीलदारगोविन्दगढ तहसील चौमू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वाके ग्राम किशनपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1430किस्म बरानी के गै0मु0 रास्ता शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत करने पर उपतहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को रास्ता के संबंध में अनुशंसा की जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2021 को उक्त खसरा नम्बर कोरास्तेको राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये।

5. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 25.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुमेर सिंह उर्फ शिम्भू सिंह पुत्र स्व0 पाबूदान सिंह वगै0द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के साथप्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर दिनांक 25.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 52 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आवेदन नायब तहसीलदार गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपीलार्थीगण के आस पास कोई खातेदारी की भूमि ही नही है, जिसका उक्त रास्ते से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही हैं और तथाकथित डोटेड लाईन के रूप में दर्शायी गई भूमि के दक्षिण दिशा में राजस्व ग्राम हावू का बास की सीमा तक ही जाती है, तथा हाबू का वास तहसील चौमू जिला जयपुर के खसरा नम्बर 116 में किसी प्रकार का कोई रास्ता अर्थात डोटेड लाईन नही है तथा राजस्व ग्राम हाबू का बास में भूमि खसरा नम्बर 116 निजी खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की भूमि से किसी प्रकार का रास्ता डोटेड लाईन के रूप में रास्ता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग मौके पर किसी प्रकार का नही हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त आवेदन प्रस्तुत कर तथाकथित कृषि भूमि को गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज कराने की अवैधानिक कार्यवाही की गई है।अपीलार्थीगण बेजमाने जागीर के जमाने से उक्त भूमि साबित खसरा नम्बर 666 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा के हाल खसरा नम्बर 1468 जो गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज है तथा हाल खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.09 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसका उपयोग उपभोग कृषि भूमि के रूप में ही किया जा रहा हैं, और अपीलार्थीगण द्वारा डोटेड लाईन में लगभग 30 वर्ष पुरानी बोरिंग की हुई है तथा उक्त बोरिंग से ही अपीलार्थीगण अपनी कृषि भूमि की सिंचाई करते है तथा सिंचाई के लिये पानी का होद भी बना हुआ है । इसलिये अपीलार्थीगण उक्त अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार हैं।अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा पारित

राजस्व अपील अधिकारी / आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25/11/2021 विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के पूर्णतः विपरीत हैं और उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा ना तो कोई पत्रावली संधारित की गई हैं केवल मात्र प्रशासनिक आदेश के रूप में निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतः स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नही आता हैं ।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन को उप तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुचाने के उद्देश्य से ही उक्त आवेदन पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य हैं। राजस्व ग्राम किशनपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित साबिक खसरा नम्बर 666 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1468 रकबा 0.49 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.09 हैक्टेयर बने हैं, संवत 2046 से 2065 के भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही भूमि हाल खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.09 हैक्टेयर को कृषि योग्य भूमि के रूप में ही उपयोग उपभोग होने की वजह से कृषि योग्य भूमि के रूप में खाता संख्या 250 सिवायचक काबिल काश्त के लिये उपलब्ध करवाई गई है। इसलिये भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध अवैध निर्णय पारित किया गया है क्योंकि दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही भू–प्रबंध अधिकारियों को मौके पर जिस भूमि की मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग होता चला आ रहा था उसका खाता संख्या 258 बनाया गया, जिसमें उक्त ग्राम किशनपुरा के सम्पूर्ण गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज की जाकर कार्यवाही की गई हैं । राजस्व ग्राम किशनपुरा से अपीलार्थीगण की भूमि हाल खाता संख्या 350 के खसरा नम्वर 1488 में 0.18 हैक्टेयर गे०मु० सडक का उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा हाल खाता संख्या 349 के खसरा नम्बर 1488/1685 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म गै०मु० सडक के रूप के में उपयोग व उपभोग हो रही है । परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा उक्त तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1486, 1487, के दक्षिण में गै०मु० रास्ता दर्ज करने की अवैध कार्यवाही की गई हैं,भू–प्रबंध विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही तथा राजस्व भू–अभिलेखो में मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार जब राजस्व भू–अभिलेखो में गै०मु० रास्ता ही नही हैग्राम किशनपुरा से हाबू का बास की सीमा तक ही उक्त डोटेड लाईन बनी हुई है जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम हाबू का बास में जाने के लिये उक्त रास्ते का किसी भी प्रकार से उपयोग नही हो रहा हैं।अतः उपतहसीलदार व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू दिनांक 25.11.2021 निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम किशनपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1430किस्म बरानी के संबंध मेंसे एक पुराना प्रचलित रास्ता कदीम से कायम है जिस पर खातेदार वर्षों से आवागमन हेतु



अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं एवं मौके पर रास्ता आज भी यथावत कायम है एवं प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है।मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व उपतहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के आधार पर ही नक्शे में कदिमी रास्ता के रूप में होने के कारण उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयुपर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जानकारी91 का नोटिस प्राप्त होकर नकलदिनांक 23.06.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर द्वारा ग्राम किशनपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1430 किस्म बरानी को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त खसरा नम्बरों के खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 में राजस्व रिकॉर्ड मे रही लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की गई है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समक्षते हैं।

**अतः आदेश है किः** अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 25.11.2021 निरस्त किया जाता है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

(डॉ. आरूषी मलिक)
**संभागीय आयुक्त,**
**जयपुर**

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त जयपुर

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।